(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 16/2022/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. हसीना बी पत्नि हाफिज रफीक जाति फकीर मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा

– प्रार्थीया

बनाम

1. जैबुन बी पत्नि हाफिज शरीफ जाति फकीर मुसलमान नि. पिडावा तहसील पिडावा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्रीमति फरजाना मिर्जा
वकील अप्रार्थीगण – श्री सुभाष दांगी

आदेश दिनांक : 4.5.22

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 191 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 21 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थिया सं. 1 के शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा निहित है जो प्रार्थिया के कब्जे व उपयोग की भूमि है। उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा प्रार्थिया ने दिनांक 23.02.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था जिस पर प्रार्थिया काबिज काश्त है। अप्रार्थिया सं. 1 व उसके परिवारजन मौके पर प्रार्थिया के कब्जे काश्त व उपयोग को खलल करते है एवं विवाद उत्पन्न कर मारपीट करने पर आमादा है। वादग्रस्त आराजी [illegible] मण्डी रोड से लगवा है जिससे अप्रार्थी सं. 1 [illegible] नियति अ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.05.16 16:19:17 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक बंटवारा कराये बेचान करने की धमकी दे रहे है।

वादग्रस्त आराजी की चतुर्थ सीमा इस प्रकार है –

पूर्व दिशा की तरफ आम रोड स्थित है।

पश्चिम दिशा में प्रार्थिया की स्वयं की शामलाती खाते की भूमि है।

उत्तर दिशा में ख.नं. 20 स्थित है।

दक्षिण दिशा में ख.नं. 23 वक्फ की सम्पत्ति है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थिया अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया केस है क्योंकि मौके पर प्रार्थिया का खरीद के समय से 1/2 हिस्सा पर कब्जा व उपयोग उपभोग है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थिया को है क्योंकि वादग्रस्त आराजी रोड से लगवा होने से कीमती है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ग्राम पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 191 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 21 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि का बिना विधिक बंटवारा कराये रहन , बेचान , अन्तरण नहीं करे एवं बावण्ड्री वाल का निर्माण नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पिडावा की नकल जमाबंदी खाता सं. 191 की नकल व नक्शा ट्रेस , खसरा गिरदावरी , आधार कार्ड की प्रति पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थीया सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को गलत एवं अस्वीकार किया तथा विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 सहखातेदार टीनेन्ट होकर मौके पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थिया सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि के स्वैच्छानुसार उपयोग उपभोग से कानूनन नहीं रोका जा सकता है जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। सही तथ्य यह है कि उक्त भूमि ख.नं. 21 में उत्तर दिशा में पूरी लम्बाई में करीब 20–25 फीट चौडा बरसाती नाला निकला हुआ है जिसके पूर्व दिशा में नाले पर पूलिया सुनेल रोड पर इसी [illegible] पिडावा बनी हुई है जिस कारण नाले की भूमि को छोडकर बंटवारा [illegible] है। [illegible] का संतुलन व अपूरनीय क्षति की संभावना प्रार्थिया को [illegible] प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.05.16 15:19:17 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

(4)

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र ,राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 191 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 21 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि प्रार्थिया एवं अप्रार्थिया सं. 1 के शामलाती खातेदारी की आराजी है जिसका विधि सम्मत बंटवारा नहीं हुआ है। राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थिया एवं अप्रार्थिया दोनो 1/2 , 1/2 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने कब्जे काश्त के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो अनुसार शामलाती खाते की भूमि में सभी खातेदार पक्षकारो का हित निहित होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन एवं अपूरनीय क्षति होने की संभावना भी उभयपक्षकारान की ही है। अतः उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ता फैसला मूल वाद तक ग्राम पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 191 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 21 रकबा 0.3667 हेक्टर भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं एक दूसरे के कब्जा काश्त में दखलांदजी नहीं करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.05.16 15:19:17 IST
Reason: SelfAttested